



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5136]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 2018/ पौष 10, 1940

No. 5136]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 31, 2018/ PAUSHA 10, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6392(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की उप-धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 408 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
408	709बी	संघ राज्य क्षेत्र एनसीटी दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो के निकट रारा-9 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गीता कालोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, शरद सिटी, पुस्ता रोड मांडुला, बागपत, बड़ौत, शामली को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के निकट रारा-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/12/2016-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में संशोधन अधिसूचना सं. 4809 दिनांकित 13.09.2018 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

S.O. 6392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 408 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
408	709B	The highway starting from its junction with new NH-9 near Akshardham Metro connecting Geeta Colony, Shastri Park, Khajoori Khas in the Union Territory of Government of NCT of Delhi, Sarad City, Pusta road Mandula, Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the state of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-14012/12/2016-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notification no. 4809 dated 13.09.2018.